

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबन्ध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भा.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री सीतलाल पिता/पति श्री धनाराम

यनाम

राज्य सरकार कारियें तहसीलदार बस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री सीतलाल पिता/पति श्री धनाराम निवास बाला का/की हुं/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम बाला में खाता संख्या 112 किता 11 रकबा 32 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम सीतलाल पिता/पति श्री धनाराम दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में सीतलाल पिता/पति श्री धनाराम दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम सीतलाल पिता/पति श्री धनाराम के बजाय सीतलाल पिता/पति श्री धनाराम दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 2/10/2025

सीतलाल  
हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री सीतलाल पिता/पति श्री धनाराम निवासी बाला के राजस्व ग्राम बाला पटवार हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 112, में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में सीतलाल पिता/पति श्री धनाराम दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहते हैं। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

सीतलाल  
हस्ताक्षर  
पटवार मण्डल ...  
तह. बस्ती, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

...  
हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर

क्रमांक:-भू.अ./2025/27

प्रेषित,

दिनांक:-3/10/2025

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री ~~दीपा लाल~~ पिता/पति श्री ~~धना रेजर~~ निवासी ~~राजस्व~~ का ~~हल्का~~ अमरपुरा के राजस्व ग्राम ~~राजस्व~~ में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 112 में ~~दीपा लाल~~ पिता/पति श्री ~~धना रेजर~~ जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम ~~दीपा लाल~~ पिता/पति श्री ~~धना रेजर~~ दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम ~~दीपा लाल~~ पिता/पति श्री ~~धना रेजर~~ अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. कायदा अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार (भू.अ.)  
बस्सी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)  
जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/ 779

निमित्त,

दिनांक:- 6/10/2025

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने वाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री ~~दीपा लाल~~ पिता/पति श्री ~~धना रेजर~~ राजस्व ~~हल्का~~ का ~~हल्का~~ अमरपुरा की खाता संख्या 112 में जाति/नाम ~~दीपा लाल~~ पिता/पति श्री ~~धना रेजर~~ दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री ~~दीपा लाल~~ पिता/पति श्री ~~धना रेजर~~ की जाति/नाम ~~दीपा लाल~~ पिता/पति श्री ~~धना रेजर~~ एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।